आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या : 198/2024 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लिमिटेड, शाखा कार्यालय जे.एस.ई.एल. बिल्डिंग, मालवीय नगर, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. रवि कुमार ओझा

पता :– प्लाट नम्बर 21, चन्द्र नगर, 9 दुकान, कालवाड रोड, झोटवाडा, 21–क, चन्द्र नगर बी, जयपुर।

एवं फ्लेट नम्बर बी–48, चौथी मंजिल, ब्लॉक बी, त्रिमुर्ति कोहिनूर गार्डन, श्याम विहार कॉलोनी, दादाबाडी मार्ग, न्यू सांगानेर रोड, जयपुर।

एवं श्री श्याम पी.ओ.पी. हाउस, 9 दुकान के पीछे, प्लाट नमबर 88, प्रकाश नगर, कालवाड रोड, गोविन्दपुरा झोटवाडा, जयपुर।

एवं 30, श्री रामनगर–एच, कालवाड रोड, गोविन्दपुरा, झोटवाडा, जयपुर।

2. भावना ओझा

पता :– प्लाट नम्बर 21, चन्द्र नगर, 9 दुकान, कालवाड रोड, झोटवाडा, 21–क, चन्द्र नगर बी, जयपुर।

एवं फ्लेट नम्बर बी–48, चौथी मंजिल, ब्लॉक बी, त्रिमुर्ति कोहिनूर गार्डन, श्याम विहार कॉलोनी, दादाबाडी मार्ग, न्यू सांगानेर रोड, जयपुर।

एवं प्लाट नम्बर 88, प्रकाश नगर, कालवाड रोड, गोविन्दपुरा, जयपुर।

3. गिर्राज ओझा

पता :– प्लाट नम्बर 21, चन्द्र नगर, 9 दुकान, कालवाड रोड, झोटवाडा, 21–क, चन्द्र नगर बी, जयपुर।

एवं फ्लेट नम्बर बी–48, चौथी मंजिल, ब्लॉक बी, त्रिमुर्ति कोहिनूर गार्डन, श्याम विहार कॉलोनी, दादाबाडी मार्ग, न्यू सांगानेर रोड, जयपुर।

एवं 30, श्री रामनगर–जी, कालवाड रोड, गोविन्दपुरा, झोटवाडा, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002.

उपस्थित :– रीना वर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।

आदेश दिनांक :– 13.06.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को पुर्नभुगतान हेतु दिनांक 31.12.2020 को जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती भावना ओझा के स्वामित्व की सम्पति प्लाट नम्बर 54 से 64, श्याम विहार कॉलोनी, सांगानेर, जयपुर पर स्थित फ्लेट नम्बर बी–48, ब्लॉक बी, चतुर्थ तल क्षेत्रफल 607.00 वर्गफिट को बन्धक रख कर कुल राशि 18,82,777/– रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 23.01.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002, की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज किया गया। वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 18,82,777/—रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंधक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल राशि 18,89,201/— रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 23.01.2024 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्रार्थी वित्तीय संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा धारा 14 के प्रार्थना पत्र के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।
4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती भावना ओझा के स्वामित्व की बन्धक सम्पति प्लाट नम्बर 54 से 64, श्याम विहार कॉलोनी, सांगानेर, जयपुर पर स्थित फ्लेट नम्बर बी–48, ब्लॉक बी, चतुर्थ तल क्षेत्रफल 607.00 वर्गफिट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।
5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) जयपुर को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
6. आदेश आज दिनांक 13.06.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

जिला मजिस्ट्रेट जयपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner